

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-2278 / 2016 / जयपुर

मैसर्स पिरामिड एक्सपोर्टर्स,
सी-106, सावित्री मार्ग,
बापू नगर, जयपुर।

....अपीलार्थी

बनाम
सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग,
वृत्त-जे, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सी.एम.बटवाडा
अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 01.11.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के अपील संख्या 139/अपील्स-I/आरवीएटी/जयपुर/2015-16 में पारित किये गये आदेश दिनांक 01.07.2016 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "वेट अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अवधि 2012-13 में सर्राफा डीलर कम्पोजीशन स्कीम, 2006 यथासंशोधित 26.03.2013 के अन्तर्गत विकल्प का चयन किया जाकर राशि रु 1,35,88,230/- का विक्रय प्रदर्शित किया गया। व्यवहारी के द्वारा कम्पोजीशन की तृतीय एवं चतुर्थ किश्त राशि रु 9,000/- एवं राशि रु 13,500/- को 1 दिन विलम्ब से जमा करवाया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 01.05.2015 द्वारा यह मानते हुये कि व्यवहारी द्वारा स्कीम की शर्त सं 5.04 की पालना नहीं की है, अपीलार्थी का कर निर्धारण करते हुये कर राशि 1,35,882/- रु, ब्याज 32,471/- रु कुल राशि 1,68,353/- रु निर्धारित की। व्यवहारी द्वारा इस आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमे निर्णय दिनांक 01.07.2016 द्वारा अपील अस्वीकार की गई जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
3. बहस विद्वान उभय पक्ष सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधिसूचना दिनांक 06.05.2006 (यथासंशोधित) के अनुच्छेद 4 के अनुसार तृतीय तिमाही की किश्त दिनांक 14.01.2013 एवं चतुर्थ तिमाही की किश्त दिनांक 14.04.2013 तक जमा करायी जानी थी

किन्तु उक्त दोनों दिवसों का राजपत्रित अवकाश होने के कारण, उक्त किश्तें आगामी कार्य दिवस अर्थात् 15.01.2013 तथा 15.04.2013 को जमा करायी गयी। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि जनरल क्लॉज एक्ट की धारा 10 एवं राजस्थान जनरल क्लॉज एक्ट की धारा 11 में प्रावधित किया गया है कि यदि कोई कोर्ट व कार्यालय नियम दिनांक या निर्धारित अवधि के अंतिम दिवस को बंद हो तो उक्त कार्य आगामी कार्यदिवस को कर लिये जाने पर नियत समयावधि में माना जायेगा। चूंकि अपीलार्थी द्वारा आगामी कार्यदिवस को कम्पोजीशन फीस राजकोष में जमा करा दी गयी थी इसलिये समयावधि में मानी जानी चाहिये। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न निर्णयों को उद्धरित किया गया है :-

- (1). Hude and another Vs. Babeshwar Kanhar and another (AIR 2005) (SC) Page 1491
- (2). Bhagwati Venkatarama Ayyar. BP Sinha and S.KI. Das JJ (AIR 1975) (SC) Page 271 (273)
- (3). AIR 1957 SC 271 Harinder Singh Vs. S. Karmail Singh & other.

विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा नियत तिथि को अवकाश के कारण आगामी दिवसों में जमा करायी गयी प्रशमन राशि को नियमत अवधि में मानते हुये, आदेश दिनांक 01.05.2015 को अपास्त कर, प्रशमन योजना के तहत कर निर्धारण कराये जाने का निवेदन किया गया।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का अनुरोध किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया वह बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

8. विचाराधीन प्रकरण में मुख्य विवाद यह है कि व्यवसायी द्वारा कम्पोजिशन स्कीम की तृतीय व चतुर्थ किश्त एक दिन देरी से जमा करवायी है जिसके सम्बन्ध में व्यवसायी का तर्क है कि तृतीय व चतुर्थ जमा कराने की अंतिम तिथि 14.01.2013 व 14.04.2013 को राजपत्रित अवकाश था जिससे आगामी कार्य दिवस पर किश्त जमा करवाने के कारण उसे समयावधि में माना जाये न कि देरी से जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने इसे देरी से जमा करवाया जाना माना है। कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष व्यवसायी ने जवाब में भी यह कथन किया था कि अंतिम तिथि को राजकीय अवकाश होने के कारण किश्त विलम्ब से जमा हुई है।

9. उपरोक्त विवाद के सम्बन्ध में The Rajasthan General Clause Act, 1955 की धारा 4 व 11 का अवलोकन करना समीचीन है :-

4. **Application.** Unless otherwise expressly provided or unless the context otherwise requires, the provisions of this Act shall apply

22/

लगातार.....3

- (i) to this Act,
- (ii) to all Rajasthan laws made after the commencement of this Act,
- (iii) to all Central Acts adapted to Rajasthan from time to time, by the Rajasthan State Legislature,
- (iv) where any such law or Act confers upon any authority a power to make rules, regulations or by-laws to such rules, regulations or by-laws,
- (v) so far as may be, to all Rajasthan laws pertaining to Lists II and III of the Seventh Schedule to the Constitution made before the commencement of this Act and to any rules, regulations or by-laws thereunder, and
- ¹[(vi) to all Rajasthan laws and to rules, regulations and by-laws thereunder made on or after the first day of November, 1956.]

11. Computation of time. Where, by any Rajasthan law, any act or proceeding is directed or allowed to be done or taken in any Court or office on a certain day or within a prescribed period, the, if the Court or office is closed on that day or the last day of the prescribed period, the act or proceeding shall be considered as done or taken in due time if it is done or taken on the next day afterwards on which the Court or office is open:

Provided that nothing in this section shall apply to any act or proceeding to which the Indian Limitation Act, 1908 (Central Act IX of 1908) applies.

उपरोक्त विधिक प्रावधान की धारा 4 के अनुसार The Rajasthan General Clause Act, 1955 राजस्थान राज्य द्वारा बनाये गये समस्त कानूनों पर लागू है। धारा 11 के अनुसार यदि किसी कानून द्वारा किया जाने वाला कार्य निर्धारित समय सीमा में किया जाना है परन्तु उस निश्चित दिवस को न्यायालय या कार्यालय बंद है तो न्यायालय या कार्यालय आगामी कार्य दिवस पर खुलने पर उस कार्य को किया जाने पर वह कार्य समय सीमा में माना जायेगा। व्यवसायी ने तृतीय व चतुर्थ किश्त जमा कराने की अंतिम तिथि 14.01.2013 व 14.04.2013 को राजपत्रित अवकाश होने के कारण आगामी कार्य दिवस दिनांक 15.01.2013 तथा 15.04.2013 को किश्त जमा करवाई गई है जो उपरोक्त विधिक प्रावधान के अनुसार समय समय में मानी जानी चाहिए। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा AIR 1957 SC 271 Harinder Singh Vs. S. Karmail Singh & other में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

Where therefore, a period is prescribed for the performance of an act in a Court or office, and that period expires on a holiday, then according to the section the act should be considered to have been done within that period, if it is done on the next day on which the Court or office is open. For that section to apply, therefore, all that is requisite is that there should be a period prescribed, and that period should expire on a holiday.

इस दृष्टिकोण से अधीनस्थ दोनों न्यायालयों का निर्णय विधिसम्मत नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किये जाते हैं तथा अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे व्यवसायी द्वारा लिये गये विकल्प के अनुसार व्यवसायी को कम्पोजिशन स्कीम में मानते हुये नियमानुसार एवं विधिसम्मत आदेश व्यवसायी को सुनकर पारित करें। व्यवसायी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 26.12.2017 को उपस्थित हो।

11. निर्णय सुनाया गया।

नवम्बर २०१८